प्रेस विज्ञप्ति

प्रथम अनुपूरक वर्ष 2024—25

मानननीय वित्त मंत्री जी द्वारा आज सदन में वर्ष 2024–25 का प्रथम अनुपूरक प्रस्तुत किया गया । इस पर पक्ष एवं विपक्ष के कुल 19 सदस्यों द्वारा चर्चा उपरांत इसे पारित किया गया है। प्रथम अनुपूरक के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

प्रथम अनुपूरक अनुमान – 2024–25 – एक नजर में

1.	वर्ष 2024–25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान	–	1 लाख 47 हजार 446 करोड़
2.	**प्रथम अनुपूरक का आकार**	–	**7 हजार 329 करोड़**
	कुल योग	–	01 लाख 54 हजार 775 करोड़

3. प्रथम अनुपूरक में–

राजस्व व्यय	–	6 हजार 825 करोड़
पूंजीगत व्यय	–	504 करोड़
कुल व्यय	–	**7 हजार 329 करोड़**

कृषक उन्नति योजना

- राज्य के किसानों से 3,100 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था। इसे पूरा करने के लिये **कृषक उन्नति योजना** योजना प्रारंभ की गई है।
- योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023–24 में राज्य के 24 लाख 73 हजार पंजीकृत किसानों से 144 लाख 92 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसके ऐवज में किसानों को **13 हजार 287 करोड़** की आदान सहायता राशि सहित **लगभग 45 हजार करोड़** का भुगतान किया गया है।
- **मोदी की गारंटी** अंतर्गत वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के 2 वर्षों में सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान की गई धान खरीदी के लिये **धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना** के माध्यम से राशि **3 हजार 716 करोड़** का भुगतान भी किया गया है। इससे वर्ष

2014–15 के 11,58,566 तथा 2015–16 के 10,92,810 धान विक्रय करने वाले किसान लाभान्वित हुये हैं।

महतारी वंदन योजना

- घोषणापत्र में राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने तथा उन्हें परिवार एवं समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान करने की सकारात्मक सोच एवं पवित्र उद्देश्य से **महतारी वंदन योजना** प्रारंभ करने का वादा किया गया है।
- योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की सभी पात्र महिलाओं को एक हजार रूपये प्रति माह के मान से उनके आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जा रहा है।
- महतारी **वंदन योजना** अंतर्गत लगभग 70 लाख महिलाओं को माह मार्च से जुलाई 2024 तक 5 माह में **3 हजार 270 करोड़** रूपये का भुगतान किया गया है। वर्ष 2024–25 के मुख्य बजट में इसके लिये **3 हजार करोड़** का प्रावधान है।
- प्रथम अनुपूरक में **4 हजार 900 करोड़** का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना</u>

- हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र में लगातार तीसरी बार गठित सरकार ने देश भर में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।
- संकल्प–पत्र के अनुरूप राज्य के **18 लाख** गरीब ग्रामीण परिवारों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पक्का आवास देने का वादा किया है। इसके लिए वर्ष 2024–25 के मुख्य बजट में **8 हजार 369 करोड़** का प्रावधान किया गया है।
- **मुख्यमंत्री आवास योजना** अंतर्गत 47,090 आवास स्वीकृत किये गये हैं। पिछली सरकार ने इनके लिए प्रथम किश्त की राशि 25 हजार ही जारी की गई थी।
- हमने इन स्वीकृत आवासों के निर्माण हेतु **40 करोड़ 26 लाख** जारी किये हैं एवं शेष राशि के लिए वर्ष 2024–25 के बजट में **100 करोड़** का प्रावधान किया है। हमारा लक्ष्य है कि इन आवासों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाए।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि

- भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 को दिन एक काले दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस दिन देश में आपातकाल की घोषणा करते हुए संविधान को निरस्त कर दिया गया था। देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर जेलों में बंद कर दिया गया। मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। 19 माह तक देश में बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ।
- भारत सरकार ने 25 जून को **लोकतंत्र हत्या दिवस** घोषित किया है। देश में लोकतंत्र की पुनः बहाली के लिये जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं सहीं, उनके सम्मान के लिये हमने **लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि योजना** प्रारंभ की थी।
- राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में **42 करोड़** का प्रावधान किया गया है।

नियद नेल्लानार योजना

- राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों– दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **नियद नेल्लानार – आपका अच्छा गांव** योजना प्रांरभ की गई है।
- योजना अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण एवं क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रथम अनुपूरक में **5 करोड़** का प्रावधान किया गया है।
- इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास हेतु **2 करोड़** का प्रावधान किया गया है।
- 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु प्रथम अनुपूरक में **1 करोड़** का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- 02 नवीन छात्रावास एवं 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि हेतु प्रथम अनुपूरक में **88 लाख** का प्रावधान किया गया है।

<u>**प्रधानमंत्री जनमन योजना**</u>

- माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में PVTGs के समग्र विकास हेतु भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले **जनजातीय गौरव दिवस 19 नवम्बर 2023** को इस योजना को प्रारंभ किया गया है।
- इस योजना के तहत प्रदेश के 18 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजातियों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझमाड़िया) के 42,326 परिवार चिन्हांकित हैं।
- इनमें से 22,873 परिवारों को पक्के आवास स्वीकृत करते हुए 176 करोड़ 50 लाख जारी किये जा चुके हैं। शेष राशि 81 करोड़ 73 लाख भी इसी वर्ष जारी की जाएगी।
- राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास हेतु बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिये प्रथम अनुपूरक में **20 करोड़** का प्रावधान है।
- इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में **2 करोड़ 72 लाख** का प्रावधान है।

- पीव्हीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक बजट में **3 करोड़ 76 लाख** का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

<u>ग्रीन ट्रांसपोर्ट</u>

- राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु **ई–बस सेवा योजना** अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा हेतु कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में **40 करोड़** का प्रावधान किया गया है।
- छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी प्रदाय करने हेतु वर्ष 2024–25 के मुख्य बजट में **30 करोड़** का प्रावधान किया गया है।
- इस योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। अतः योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में **20 करोड़** का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।

अधोसंरचना विकास

- राज्य में सड़कों के अनुरक्षण एवं संधारण हेतु **150 करोड़** का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है।

- प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रथम अनुपूरक में **50 करोड़** का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत हो गये हैं। जर्जर भवनों के लिये भी भारत सरकार से राशि प्राप्त हो जाती है। केवल शहरी क्षेत्र के 2,242 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन नहीं है। शहरी क्षेत्र में एक समस्या जमीन की है, जिसके कारण अन्य स्थानीय निधि जैसे – डीएमएफ से कलेक्टर राशि स्वीकृत नहीं कर पाते हैं।

- लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल एवं कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य हेतु प्रथम अनुपूरक में **5 करोड़** का प्रावधान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना** अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में **25 करोड़** का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

<u>वन एवं जलवायु परिवर्तन</u>

- वन प्रबंधन समितियों को बांस कूपों एवं काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाले वनोपज के मूल्य का लाभांश वितरण हेतु **31 करोड़** का प्रावधान किया गया है।
- बिगड़े वनों के सुधार एवं बांस वनों के सुधार हेतु **25 करोड़** का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- कानन पेण्डारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों की खाद्य सामग्री हेतु **10 करोड़** का प्रावधान किया गया है।

- 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु **7 करोड़ 50 लाख** का प्रावधान किया गया है।
- तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका प्रदाय करने हेतु **5 करोड़** का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मिलेट उत्पादों के प्रचार–प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए **5 करोड़** का प्रावधान किया गया है।
- संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु **3 करोड़** का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित लाख प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने हेतु केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य के लिए **1 करोड़** का प्रावधान किया गया है।

- छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु **2 करोड़ 50 लाख** का प्रावधान किया गया है।

तीर्थ दर्शन

- सरकार द्वारा श्रद्धालुजनों को अयोध्या धाम में निर्मित श्री राम मंदिर में स्थापित प्रभु श्री राम के दर्शन कराये जाने के लिए **श्री रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना** प्रारंभ की गयी है। मुख्य बजट में इस योजना के लिए **35 करोड़** का प्रावधान किया गया है।
- इसी क्रम में हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में प्रारंभ की गयी **मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना,** जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, को पुनः प्रारंभ किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने हेतु अनुपूरक में **25 करोड़** का प्रावधान किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

- राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को उपचारित कर शुद्ध बनाने के लिये **260 करोड़** का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में साईंस सिटी की स्थापना हेतु **36 करोड़ 81 लाख** का प्रावधान किया गया है।
- नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब एवं Incubation Center की स्थापना हेतु **10 करोड़** का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2014 में 300 स्टार्टअप से आज वर्ष 2024 में भारत में स्टार्टअप की संख्या 400 गुना बढ़कर लगभग 1,27,000 हो गई है। इनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।
- नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण हेतु **2 करोड़** का प्रावधान किया गया है।
- राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों हेतु **1 करोड़** का प्रावधान किया गया है।

- 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला–रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिये 61 पदों के सृजन हेतु **1 करोड़** का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में बेहतर अधोसंरचना का निर्माण एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार के गठन उपरांत अभी तक 119 सड़क, पुल एवं भवन निर्माण कार्यों हेतु **652 करोड़** तथा 102 सिंचाई योजनाओं के लिए **458 करोड़** की स्वीकृति दी जा चुकी है।
- नगरीय निकायों में **नालंदा परिसर** की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण हेतु वर्ष 2024–25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 13 नगरीय निकायों में सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण हेतु **85 करोड़** की स्वीकृति दी गयी है।
- 1 जुलाई 2024 से लागू 3 नये आपराधिक कानूनों–भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन

हेतु प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित मदों में अनुपूरक अंतर्गत **10 करोड़** का प्रावधान किया गया है।

- समग्र शिक्षा अंतर्गत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन तथा 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के उन्नयन हेतु **2 करोड़** का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- दवाई क्रय हेतु स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024–25 के बजट में 154 करोड़ का प्राावधान है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु **90 करोड़** का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
- प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को 1 मार्च 2024 से महंगाई भत्ते एवं राहत की दर को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया गया है। इससे प्रदेश के लगभग 4 लाख शासकीय सेवकों एवं लगभग 1 लाख 44 हजार पेंशनरों को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है।

सरकार के घोषणापत्र में छत्तीसगढ़ की जनता से किये गये वादों को पूरा करने की दिशा में एक और कदम के रूप में इस वित्तीय वर्ष का यह प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह एक और प्रयास है प्रदेश की जनता द्वारा मोदी जी की केन्द्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद स्वरूप दिए गये अभूतपूर्व समर्थन का आभार जताने के लिये। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ निवासियों को दी गयी ''**मोदी की गारंटी**'' को शत–प्रतिशत पूर्ण करने के लिये सरकार वचनबद्ध है तथा प्रदेश वासियों को यह विश्वास दिलाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में सभी की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेगी।

जय छत्तीसगढ़

जय हिन्द

———000———